

erl ; d"kd fodkl vfHkdj.k lkyu] ft yk lkyu d y[kkvk dk vdf{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vof/k 01-04-2010 l 31-3-2011

1 xr vdf{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो में समाविष्ट ऑडिट पैरो/अनुच्छेदों के सटिप्पण उत्तरों की अंकेक्षण के दौरान समीक्षा के उपरान्त कुछ ऑडिट पैरो/अनुच्छेदों का अंकेक्षण के दौरान निपटारा किया गया। पैरो की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :-

vdf{k.k ifronu vof/k 4@99 l 3@2000

पैरा 11 अनिर्णीत

vdf{k.k ifronu vof/k 4@2007 l 3@2008

पैरा 9 निर्णीत

vdf{k.k ifronu vof/k 4@2009 l 3@2010

पैरा 7 अनिर्णीत

पैरा 8 निर्णीत

पैरा 9 निर्णीत

पैरा 10 अनिर्णीत

2 or'eku vdf{k.k %&

मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन के लेखाओं, अवधि 4/2010 से 3/2011 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री ज्ञान चन्द शर्मा, अनुभाग अधिकारी तथा श्री अमर दत्त, लेखा परीक्षक द्वारा किया गया। अंकेक्षण दल द्वारा विस्तृत जाँच हेतु माह 03/2011 की आय तथा माह 12/2010 के व्यय का चयन किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन, मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई गई जनकारी/अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। लेखा परीक्षा विभाग, षिमला-9

उक्त संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना के प्रदान न करने के कारण हुई त्रुटि से स्वयं को उत्तरदायित्व से अलग रखता हैं। लेखा परीक्षा का उत्तरदायित्व विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास तक ही सीमित है।

3 **vd{k.k 'kYd %&**

मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन के वर्ष 2010-11 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹11,000 आंका गया जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, षिमला-171009 के नाम भेजने हेतु अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अध्याचना संख्या: 32, दिनांक 03.05.2012 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **foUkh; fLFkfr %&**

मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन के लेखाओं की आय-व्यय विवरणिका तथा तुलनपत्र (Balance Sheet) इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट -“क” से परिशिष्ट-“ड” तक संलग्न है।

5 **fu0'k %&**

मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के अन्त तक दिनांक 31.03.11 को ₹5,48,150.00 का कुल निवेश किया गया जिसमें से ₹2,69,797.00 “दी जोगिन्द्रा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक सीमित सोलन” की सावधि जमा में निवेशित है तथा ₹2,78,353.00 “विजय बैंक” सोलन के सावधि जमा खाते में निवेशित है जिसका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट-“च”(i)से(iii) पर संलग्न है।

6 **lgk; rk vunku %&**

%i% वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन जिला सोलन को राज्य सरकार से ₹2,93,000.00 (दो लाख तिरानवें हजार) सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ट-“छ” पर संलग्न है।

%ii% वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान के प्रारम्भिक शेष, प्राप्ति उपयोग तथा अन्तर्षे का ब्यौरा निम्न प्रकार से दिया गया है।

jkT; ljdkj dk	dUn ljdkj dk	dy ;kx
Hkkx	Hkkx	

प्रारम्भिक शेष	12,28,834	4,85,538	17,14,372
वर्ष के दौरान अनुदान की प्राप्ति	2,93,000	—	2,93,000
; kx	15]21]834	4]85]538	20]07]372
वर्ष के दौरान उपयोग की दर्शाई गई अनुदान की राशि	(—) 3,95,041.82	(—) 6,75,499.05	(—) 10,70,541
अन्तर्षे (उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अनुसार)	11,26,792.18	(—) 1,89,961.05	9,36,831

उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष के अन्त में दिनांक 31.03.2011 का राज्य सरकार का भाग ₹11,26,792.18 तथा केन्द्र सरकार का भाग (—) ₹1,89,961.05 अन्तर्षे के रूप में दर्शाया गया, अतः केन्द्र सरकार के भाग में अधिक भुगतान की गई तथा वसूली योग्य ₹1,89,961.05 की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 vfxe ₹5]00]000 d lek;ktu ckj: %&

माह 12/2010 के व्यय वाञ्छर संख्या: 55, दिनांक 03.12.2010 के अवलोकन से पाया गया कि ₹5,00,000 अधिषासी अभियन्ता जी0आई0सी0 धर्मशाला (Exn. GIC) को, घागस जिला बिलासपुर में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र के मुरम्मत कार्य परिवर्द्धन एवं परिवर्तन (addition & attestation) हेतु अग्रिम के रूप में दी गई जिसमें निम्न त्रुटियां (Short comings) पाई गई :-

- अग्रिम राशि प्रदान करने से पूर्व कोई तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।
- अग्रिम राशि प्रदान करने से पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।
- राज्य/केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान राशि के व्यय की शर्तें व नियमों के अर्न्तगत ₹5,00,000/- अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान अंकक्षेप के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदान किए गए अग्रिम की अग्रिम पंजिका (Advance Register) में भी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त त्रुटियों के समाधान के लिए वांछित कार्रवाई अमल में लाते हुए कृत कार्रवाई से शीघ्र-अति-शीघ्र अंकक्षेप को अवगत करवाया जाए तथा इस आष्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र कि अग्रिम के रूप में दी गई राशि उसी उद्देश्य हेतु उपयोग कर ली गई है जिस हेतु प्रदान की गई थी सम्बन्धित संस्था से प्राप्त करके आगामी अंकक्षेप में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 l.yXu okgu %Attached Vehicle% dh ₹2500 dh 'k" k o l y h %&

श्री तवेष चौहान, सहायक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्सय कृषक विकास अभिकरण शामती-सोलन द्वारा दिनांक 11.06.2010 को कार्यभार सम्भाला तथा अधिकारी से दिनांक 11.06.2010 से 31.03.2011 तक संलग्न वाहन प्रतिभार (Attached vehicle Charges) के रूप में ₹3,625/- की वसूली की जानी अपेक्षित थी जिसमें से माह 10/2010 में ₹375 तथा माह 02/2011 में ₹750 अर्थात् कुल ₹1,125.00 ही जमा करवाई गई। अतः शेष ₹2500 की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 fuft ;k=k 'kYd dh ₹125@& dh 'k" k o l y h %&

श्री सुषील जर्नाथा, दिनांक 10.06.2010 को कार्य मुक्त होकर मत्सय कृषक विकास अभिकरण शामती से अतिरिक्त निदेशक, एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से निदेशालय मत्सय बिलासपुर को स्थानान्तरित हुए तथा उन्होंने मत्सय कृषक विकास अभिकरण शामती से माह 05/2010 तक का ही वेतन आहरित किया इस प्रकार श्री जर्नाथा से दिनांक 01.06.2010 से 10.06.2010 तक का देय संलग्न वाहन शुल्क ₹125/- कार्यालय में जमा नहीं करवाया है जिसे श्री जर्नाथा से वसूल करके शीघ्र-अति-शीघ्र कार्यालय कोष में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 vunku d : i e nh xb ₹14]400@& d l gh mi ;kfxrk gr vuoh{k.k u djuk %&

तालाब निर्माण के लिए श्री यषपाल सुपुत्र श्री राम आसरा, जिला ऊना के पक्ष में ₹28,800 की अनुदान राशि पत्र संख्या: 24/2007-08, दिनांक 29.03.2008 द्वारा स्वीकृत की गई थी जिसकी प्रथम किस्त ₹14,400 का भुगतान दिनांक 29.05.2008 को किया गया था।

अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2009-10 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा-7 में लाभार्थी को दो वर्षों के व्यतीत होने के उपरान्त भी दूसरी किस्त जारी न करने के कारणों बारे पूछा गया था इसके उत्तर में विभाग ने सूचित किया कि लाभार्थी ने जो तालाब बनाया था वह दिनांक 18.08.2010 को बह गया था इसलिए दूसरी किस्त जारी नहीं की गई। स्वीकृति आदेश के अनुसार लाभार्थी द्वारा पहली किस्त जारी होने के/स्वीकृत होने के छः माह के भीतर तालाब निर्माण कार्य को पूर्ण करना वांछित था तथा तदोपरान्त ही दूसरी व अन्तिम किस्त जारी की जानी थी। इस मामले में लाभार्थी द्वारा न तो तालाब का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण किया ओर न ही तालाब के बह जाने बारे ही मत्सय विभाग को तथ्यों सहित सूचित किया जिससे यह प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा जारी की गई अनुदान की राशियों की समय-समय पर

अनुवीक्षण (Monitoring) नहीं की जा रही है। अतः इस मामले की विस्तृत जाँच की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 y?k vkifÜk fooj.khdk %& अलग से जारी नहीं की गई है।

12 lkjk'k %& लेखों के रख-रखाव में सुधार क आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

lk"Bkdu l;[;k %&फिन(एल0ए)सी(15)(14)-100/86-खण्ड-7 दिनांक, शिमला-171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- i:thd'r %&
- (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्सय कृषक विकास अभिकरण शामती, स्थित सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
 - (2) उप सचिव (मत्सय) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002.
 - (3) मुख्य मत्सय प्रारक्षी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश।
 - (4) श्री ज्ञान चन्द शर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

%vui dekj ?kk : %